सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :– 1/2019

बउनवान

श्री आसु सिंह पुत्र फूसू सिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपुरोहित निवासी थोब तहसील औसिया जिला जौधपुर मैसर्स जौधपुर मिष्ठान भण्डार, सीताबाडी रोड केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारॉ (राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(अप्रार्थी)

पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 9/2018 मे अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 के तहत पारित निर्णय दि. 4.1.2019 के विरूद्व

उपस्थिति :– 1– श्री रघुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक अभिभाषक (प्रार्थी)
2– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 12.3.2019

प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 9/2018 मे अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 के तहत पारित निर्णय दि. 4.1.2019 के विरूद्व प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण इस न्यायालय मे विचाराधीन था। जिसमे प्रार्थी के विरूद्व एक तरफा निर्णय दिनांक 4.1.2019 को पारित किया गया है। जो विधि विरूद्व है। इस कारण प्रार्थी प्रकरण का पुनः विचारण एवं पुर्नविलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत करता है।

उक्त निर्णय प्रार्थी की अनुपस्थिति मे पारित किया गया है। क्योकि प्रार्थी के पिता बीमार थे तथा प्रार्थी अपने पिता की सेवा सुश्रषा मे व्यस्त था तथा परिवार मे प्रार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नही था। इस कारण प्रार्थी गमी मे था और इसी कारण उपस्थित नही हुआ था।

प्रार्थी अपने बचाव मे जवाब व अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सका था। इस कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण के पुर्नविचारण हेतु यह आवेदन पेश कर निवेदन करता है। कि उक्त प्रकरण मे प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने एवं अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये उक्त प्रकरण का पुर्नविचारण/पुर्नविलोकन कर निर्णय फरमाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जावेगा एवं प्रार्थी के साथ भारी अन्याय होगा।

उक्त प्रकरण मे प्रार्थी को जवाब प्रस्तुत करने व अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने व अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते हुये उक्त प्रकरण का पुर्नविचारण/पुर्नविलोकन कर निर्णय फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र को दिनांक 8.2.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी राजस्थान सरकार जर्येः— श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ को जर्ये सम्मन क्रमांक 187 दिनांक 8.2.2019 से तलब किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि प्रार्थी के पिता बीमार थे तथा प्रार्थी अपने पिता की सेवा सुश्रषा मे व्यस्त था तथा परिवार मे प्रार्थी के अलावा उनकी देखभाल करने वाला कोई नही था। इस कारण प्रार्थी गमी मे था और इसी कारण उपस्थित नही हुआ था। प्रार्थी की ग्राम केलवाडा मे मैसर्स जौधपुर मिष्ठान भण्डार, के नाम से दुकान थी। जो छोटा कस्बा होने के कारण लगातार नुकसान मे चल रही थी। जो वर्तमान मे प्रार्थी द्वारा हटा दी गई है। प्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ कलाकन्द (दूध चीनी व इलाईची) मे किसी भी प्रकार की मिलावट नही की गई थी। जो जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा की जांच रिपोर्ट मे अवमानक (Sub Standad) पाया गया था। प्रार्थी के पिता का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इस न्यायालय मे अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण संख्या 9/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 4.1.2019 से प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत आर्थिक जुर्माना राशि 2,00,000/— रूपये से दण्डित किया गया था। प्रार्थी वर्तमान मे बहुत गरीब स्थिति मे है, प्रार्थी उक्त जुर्माना राशि को किसी भी स्थिति मे जमा करवाने हेतु सक्षम नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जुर्माना राशि काफी अधिक है। उसे प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुये कम से कम जर्माना राशि जमा करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी सरकार पक्ष द्वारा कहा गया कि ग्राम केलवाडा एक छोटा कस्बा है, वहा दुकान ज्यादा अच्छी नही चलती है ओर प्रार्थी द्वारा नुकसान के चलते दुकान भी हटा ली गई है। अतः प्रार्थी की आर्थिक स्थिति को देखते हुये कम से कम जुर्माना राशि से अप्रार्थी को दण्डित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अभिभाषक एवं अप्रार्थी सरकार पक्ष की बहस सुनी। इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 9/2018 मे अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत एकपक्षीय पारित निर्णय दिनांक 4.1.2019 से प्रार्थी को आर्थिक जुर्माना राशि 2,00,000/— रूपये से दण्डित किया गया था। जिसके स्थान पर प्रार्थी की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुये, जुर्माना राशि 20,000/— रूपये (अक्षरे बीस हजार रूपये) से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 12.3.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)